संख्या–197 / 41–11–05 यो0 / 11

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ दिनांक 28 जनवरी, 2011

विषय– अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर की भूमि का वायर फेन्सिंग किया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1977 / 6–1–1(कुशीनगर) / 2011 दिनांक 25.01.211 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में के लिए अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर की भूमि का वायर फेन्सिंग किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, आजमगढ़ द्वारा गठित आगणन रू0–278.96 लाख सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परीक्षित / आंकलित की गयी धनराशि रू0 2,45,63,000 (रू0 दो करोड पैंतालीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2– अनुमोदित आगणन के अन्तर्गत निहित कार्यो पर ही व्यय किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद / कार्य में नहीं किया जायेगा।

3– आगणन के स्वरूप एवं कार्यदायी संस्था में बिना शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्यदायी संस्था शासन द्वारा अनुमोदित है और विभागीय कार्यो को करने में सक्षम है।

4– कोई भी निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुमोदित कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर आधारित विस्तृत ऑगणन तैयार कर उन पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाय तथा निर्माण कार्य का ले आउट एवं मानचित्र महानिदेशक पर्यटन अथवा प्रतिनिधि से अनुमोदित न करा लिया जाय।

5– अनुमोदित कार्यो पर व्यय स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय तथा अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में कोई अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त कोई धनराशि बचती है अथवा किन्हीं कारणों से धनराशि का उपयोग सम्भव न हो तो उसे यथाशीघ्र राजकोष में जमा कराये जाने की समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6– प्रस्तावित परियोजना पर अनुमोदन के पश्चात तकनीकी स्वीकृति निर्गत करते समय विशिष्टियों, कार्यमदों, उनकी मात्राओं एवं दरों में यदि 5 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में संशोधित प्रायोजना को 03 माह के

अन्दर मूल्यांकन प्रभाग को पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक होगा। अतएव ऐसी स्थिति में समयान्तर्गत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत योजनाओं के लिए पूर्व में कोई धनराशि पर्यटन विभाग अथवा किसी अन्य श्रोत/विभाग द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है और स्वीकृत योजनाओं में कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

8– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत योजनायें पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयोगी है और शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों से आच्छादित है।

9– निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 व 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसमें अनुबन्ध पत्र भरने की तिथि से 6 माह की अवधि से कार्य पूर्ण करने, कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने, अधोमानक सामग्री का उपयोग न करने तथा अन्य आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किया जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

10– निर्माण एजेन्सी द्वारा केवल निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जायेगें तथा उन्हीं कार्यो हेतु अनुमोदित दरों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। निर्माण कार्य हेतु आकस्मिक व्यय निर्माण कार्यो की लागत पर नियमानुसार दो प्रतिशत अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं देखले कि विभागीय कार्य करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य में निगम द्वारा कार्य किये जाने हेतु 5 प्रतिशत की कमी करके आगणन गठित किया गया है।

11– निर्माण कार्यो के फलस्वरूप सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख रखाव की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि इन मदों पर होने वाले व्यय का भार उत्तर प्रदेश शासन पर न पडे।

12– उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना है, वह विभाग के पास निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो गयी है।

13– उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तो का भी अनुपालन अनिवार्य हैः–

(1) प्रस्ताव हेतु स्वीकृति की धनराशि आगणित लागत से अधिक नहीं होगी।

(2) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव की लागत में बढ़ोत्तरी न हो और समयानुसार योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त योजना हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(3) योजना के कियान्वयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कीं जाने वाली योजना का अनुमोदन प्राप्त है।

14– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–44 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूॅजीगत

परिव्यय–आयोजनागत–01–पर्यटन अवसंरचना–800–अन्य व्यय–04–पर्यटन विकास हेतु जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक सहभागिता से अन्तर्राष्ट्रीय हवई अड्डे की स्थापना–24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–106/दस–2011 दिनांक 28 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

संख्या– 197(1)/41–2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, सिविल आडिट, उ0प्र0 सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए, दयानन्द मार्ग इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन भवन, लखनऊ।
4– आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
5– जिलाधिकारी, कुशीनगर।
6– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) उ0प्र0।
7– उपनिदेशक, पर्यटन, गोरखपुर।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–7/नियोजन अनु0–4
10– गार्ड फाइल/वेब अधिकारी (श्री राजाराम)।

आज्ञा से

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव